

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/बृहत्तर पी0ग0/ /2020 दिनांक::लखनऊ::नवम्बर 26, 2020
आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) सपटित धारा 57(12)(ई)(आई) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम-2008 में निहित शक्तियों के अधीन दिनांक 30.12.2020 को मुख्यालय, लखनऊ पर बृहत्तर पीठ गठित की जाती है। गठित बृहत्तर पीठ में मेरे साथ श्री विनय सिंह, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ, श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, लखनऊ, श्री अजीत कुमार शुक्ला, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, लखनऊ एवं डा0 बुद्धेशमणि, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद सम्मिलित होंगे। गठित बृहत्तर पीठ निम्नलिखित अपीलों में निहित पोषणीय बिन्दु का निस्तारण करेगी:-

क्रम संख्या	अपील संख्या	व्यापारी का नाम
1	14/2002	सर्वश्री नन्दनी इन्डस्ट्रीज 23-बी, शारदा नगर, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, नुनहाई, आगरा।
2	49/2002	सर्वश्री सिंघल सिरामिक्स नका नं0-2, विचारुपुर, गोरखपुर।
3	13/2002	सर्वश्री भारती इन्डस्ट्रीज 10/4, लिंक रोड, कटरा वजीर खॉन, नवलगंज, आगरा।

ह0-26.22.2020

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या- वा0क0अधि0/बृहत्तर पी0ग0/1न80/2020 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, लखनऊ।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-द्वितीय, लखनऊ।
- 3- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-तृतीय, लखनऊ।
- 4- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-फैजाबाद।
- 5- कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- राज्य प्रतिनिधि, सम्बद्ध पूर्ण पीठ/बृहत्तर पीठ, लखनऊ।
- 7- प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/साजिर मुख्यालय।
- 8- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

निबंधक

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।